एक क्लिक से खुलेगी निजी विश्वविद्यालयों की कुंडली

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। निजी विश्वविद्यालयों की कुंडली अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा परिषद ने रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड बनाया है। जहां पर निजी विवि से जुड़ी छोटी से बड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके दो मॉड्यूल लाइव कर दिए गए हैं। इसमें कॉलेजों से डाटा अपलोड कराया जा रहा है। निजी विवि द्वारा दी गई जानकारियों पर बाद में कमियां मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

उच्च शिक्षा परिषद ने लाइव किए दो मॉड्यूल, कुल 12 मॉड्यूल से होगी निगरानी

प्रदेश में निजी विवि की संख्या 29 से बढ़कर 53 हो गई है। यहां पढ़ाई की गुणवत्ता जांच के लिए रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया है। इसमें दो मॉड्यूल लाइव किए गए हैं। पहले मॉड्यूल में 51 निजी विवि का पूरा डाटा भी अपलोड किया गया है। इसमें विवि की यूजीसी से 12 बी की मान्यता, सोसायटी के बारे में जानकारी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि के बारे में दस्तावेज के साथ जानकारी ली गई है। दूसरे मॉड्यूल में निजी विवि के संगठनात्मक ढांचे व गवर्नेंस से जुड़ी जानकारी अपलोड कराई जा रही है।

छात्र से लेकर क्लास तक की पूरी जानकारी : उच्च शिक्षा परिषद के अनुसार कई विश्वविद्यालयों ने दूसरे मॉड्यूल पर भी अपनी सूचनाएं दे दी हैं। इस तरह नए सत्र 2026-27 में एक-एक कर सभी 12 मॉड्यूल लाइव कर दिए जाएंगे। अन्य मॉड्यूल में छात्र, कक्षा, छात्रावास, हर साल बढ़ने वाले कोर्स, शिक्षक, कर्मचारी आदि से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाएगी।

हर महीने की जाएगी समीक्षा

उच्च शिक्षा परिषद की ओर से निजी विश्वविद्यालय के साथ हर महीने समीक्षा भी की जाएगी। किसी तरह की कमी या गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

एएनएम अभ्यर्थियों को 15 तक मिलेगा अनुभव प्रमाणपत्र

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने एएनएम अभ्यर्थियों को राहत दी है। अब उन्हें क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाणपत्र 15 जून तक जारी किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा में सेवा भारांक प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ाई गई है। अब तक प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 10 जून थी। विभिन्न जिलों से मिले अनुरोधों और प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। एनएचएम ने इस संबंध में सभी डीएम और सीएमओ को पत्र भी भेजा है। इससे अभ्यर्थियों को सेवा भारांक का लाभ मिल सकेगा। ये प्रमाणपत्र संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके एएनएम अभ्यर्थियों के लिए हैं। ब्यूरो

मौसम में बदलाव से बिजली की मांग घटी, पर कटौती से उपभोक्ता परेशान

लखनऊ। प्रदेश में हुई बारिश और आंधी तूफान से बिजली की मांग करीब ढाई हजार मेगावाट कम हुई है। अलग-अलग कारणों से 15 उत्पादन इकाइयां भी बंद हैं, लेकिन अचानक होने वाली कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं।

दो दिन पहले जहां बिजली की मांग 31894 मेगावाट थी वह घटकर 29 हजार मेगावाट के करीब हो गई। इन सबके बीच उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली नहीं मिल पा रही है। लखनऊ सहित कई जिलों में बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान हैं। ग्रामीण इलाके का बुरा हाल है।

जौनपुर, सुल्तानपुर, खीरी, चित्रकूट सहित कई जिलों के ग्रामीण इलाके में 18 के बजाय आठ से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे मूल वजह आंधी से होने वाला लोकल फाल्ट है। लोकल फाल्ट को ढूंढने और उसे दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है। ब्यूरो

संविदा कर्मियों की हो बहाली

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की संविदा कर्मियों को तत्काल बहाल किया जाए। बिजली की कम मांग के बाद भी उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलने की असली वजह संविदा कर्मियों का कम होना है। यही कारण है कि बारिश और आंधी-तूफान से हुए फाल्ट का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

एकेटीयू : बीफार्मा अंतिम वर्ष का परिणाम जारी

लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि (एकेटीयू) की ओर से समय से परिणाम देने के क्रम में शनिवार को सत्र 2025-26 बीफार्मा अंतिम वर्ष (8वें सेमेस्टर) के नियमित छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. दीपक नगरिया ने बताया कि छात्र परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ब्यूरो

एक लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट

लखनऊ। ग्रामीण इलाके में एक लाख घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगवाया जाएगा। हर प्लांट पर 25 हजार से 50 हजार खर्च होंगे। मिनी बायोगैस प्लांट लगने से रसोई गैस का खर्च बचेगा। साथ ही गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग हो सकेगा। इसके तहत गो सेवा आयोग ने स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और गो पालन को एक साथ जोड़ने वाली योजना तैयार की है। ब्यूरो

अगले माह प्रदेश भर में होंगी निपुण संकल्प कार्यशाला

लखनऊ। प्रदेश में आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा विद्यालयों में सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए जुलाई में सभी जिलों में निपुण संकल्प कार्यशालाएं होंगी। 33 केंद्रों पर 6 से 31 जुलाई तक होने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक विशेषज्ञ व जिला स्तरीय टीमों की सहभागिता होगी। कार्यशालाएं नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रभावी रणनीति तैयार करने, विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इनमें बीएसए, बीईओ, डायट प्राचार्यों, एआरपी, एसआरजी, डायट मेंटरों तथा जिला समन्वयकों को एक साझा मंच पर लाकर शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के कक्षा 3 से 5 तक विस्तार के क्रम में लक्ष्य आधारित शिक्षण आदि पर चर्चा होगी। , प्रभावी कक्षा-शिक्षण के लिए 10 प्वाइंट टूलकिट, कैच-अप शिक्षण तथा निपुण प्लस में प्रस्तावित सुधारों पर भी चर्चा होगी। बालवाटिका के प्रभावी संचालन तथा कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक संदर्शिका आधारित संरचित शिक्षण पद्धति को विद्यालयों में बेहतर तरीके से लागू करने की रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो

प्रदेश में लगे 89.67 लाख स्मार्ट मीटर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में करीब 89.67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। जून में 85.60 लाख उपभोक्ताओं को पोस्टपेड आधार पर बिल जारी किया गया है। प्रबंधन के अनुसार प्रदेश में कुल स्मार्ट मीटर वालों में 45 हजार नए कनेक्शनधारी हैं। इनका पहला बिल जुलाई, 2026 में बनाया जाएगा।

इसी तरह संचार एवं तकनीकी कारणों से मीटर डेटा प्राप्त न होने वाले 3.62 लाख स्मार्ट मीटरों की रीडिंग स्वचालित प्रणाली के स्थान पर हैंड हेल्ड यूनिट (एचएचयू) के माध्यम से की जा रही है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग पूर्ण कर 18 जून, 2026 तक बिल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब तक 63 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से उनके बिल प्रेषित किए जा चुके हैं।

22.6 लाख उपभोक्ताओं को उनके बिल एसएमएस के माध्यम से 15 जून तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शेष सभी उपभोक्ताओं को 18 जून तक एसएमएस के माध्यम से बिल प्रेषित कर दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं में जिनके बिल पर देय तिथि 29 जून है, उन्हें उस दिन तक हर हाल में भुगतान कर देना है। बिल नहीं जमा करने की स्थिति में विलम्ब अधिभार भी लगाया जाएगा।

कॉल करके भी लें सकते हैं बिल : उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर कॉल करके भी अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए 1912 पर आईवीआर (IVR) आधारित विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने खाता संख्या/कनेक्शन संख्या की जानकारी देकर बिल संबंधी विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

बिल नहीं मिलने पर यहां संपर्क करें

पूर्वांचल :	80109-68292
मध्यांचल :	76690-03409
पश्चिमांचल :	78598-04803
दक्षिणांचल :	80109-57826
केस्को :	82878-35233

बिजली संशोधन विधेयक का हर स्तर पर विरोध का संकल्प

लखनऊ। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हर स्तर पर विरोध का संकल्प लिया है। फेडरेशन ने इसे सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र, उपभोक्ताओं, किसानों और बिजली कर्मियों के लिए खतरा बताया है। एआईपीईएफ ने संसद में विधेयक पेश होने पर देशव्यापी आंदोलन और अचानक हड़ताल की चेतावनी दी है। ब्यूरो

पेंशन अदालत में चार प्रकरण का निस्तारण

लखनऊ। पावर कार्पोरेशन की ओर से शक्ति भवन में शनिवार को आयोजित त्रैमासिक पेंशन अदालत में आए आठ प्रकरण में चार का तत्काल निस्तारण कर दिया गयाहै, जबकि चार में सभी कार्रवाई पूरी करके जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया। पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने हर तीन माह में पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित अदालत में आए प्रकरण पर विस्तार से सुनवाई हुई और निस्तारण किया गया। निदेशक डॉ जॉन मधाई ने बताया कि पेंशन अदालत आयोजित होने की वजह से सेवानिवृत्त कार्मियों को फायदा मिल रहा है। ब्यूरो

कार्यालय उप परियोजना प्रबन्धक
उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि., सेतु निर्माण इकाई, बलिया

पत्रांक- 344/ई.निविदा/2026-27 दिनांक- 13.06.2026

ई-टेण्डर सूचना

सेतु निर्माण इकाई, बलिया के अन्तर्गत जनपद बलिया में "Engineering, Procurement and Construction (EPC) of 02 lane rail overbridge on Ballia bypass road from NH (Vaina) to Ballia Bansdih road (SH 107) in District Ballia, U.P. on EPC Mode.." के निर्माण कार्य हेतु सेतु निगम/लो.नि.वि. में पंजीकृत अनुभवी फर्मों/ठेकेदारों से दिनांक 13.06.2026 (10.00AM) से 07.07.2026 (05.00PM) तक आनलाँइन निविदाए आमंत्रित की जाती है, विस्तृत विवरण हेतु ई-निविदा पोर्टल http:/etender.up.nic.in पर लागऑन करें।

(होती लाल)
उप परियोजना प्रबन्धक

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी

जनसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली, 2016 तथा उसके संशोधन 2018 एवं 2019 के प्रावधानों के अनुसार जनपद वाराणसी में स्थित समस्त बेडेड हॉस्पिटलों का सर्वेक्षण एवं इन्वेंटरीकरण कार्य राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. के अनुरूप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला चिकित्सालय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.), वाराणसी के प्रतिनिधियों तथा आई.ई.एस.डी., बी.एच.यू. वाराणसी के सहयोग से माह जून, 2026 के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जनपद वाराणसी में स्थित समस्त हेल्थ केयर फेसिलिटीज/बेडेड हॉस्पिटलों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित सर्वेक्षण एवं इन्वेंटरीकरण कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ सं0/Ref No.445/Press Vigapti/2026-27 दिनांक/Date: 13/06/2026

punjab national bank ... name you can BANK upon! | **पंजाब नैशनल बैंक** ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in
वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को

ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 30.05.2026 तक / 13(2) की दिनांक / 13(4) की दिनांक / कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि (रू0 लाख में) / इंक्रिमेंटल धनराशि / अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ज्ञानकारी का विवरण
1.	**ऋणी: मेसर्स गौतम मार्बल** **प्रोपराइटर: श्री राज कुमार सिंह पुत्र रुप विजय सिंह** पता: एसएच 1/32–1–ए, जय नगर कालोनी, गिलट बाजार, वाराणसी, यूपी 221002 **2) मेसर्स गौतम मार्बल** **प्रोपराइटर: श्री राज कुमार सिंह** पता: एसएच 9/129–1 एके, सुद्धीपुर बाईपास, शिवपुर, वाराणसी यूपी 221002 **ऋणी/जमानतकर्ता/बंधककर्ता:–श्री राज कुमार सिंह पुत्र रुप विजय सिंह,** पता: एसएच 1/32–1–ए, जय नगर कालोनी, गिलट बाजार, वाराणसी, यूपी 221002 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता:– 1) श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र रुप विजय सिंह, 2) श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रुप विजय सिंह** पता: सभी निवासी एसएच 1/32–1–ए, जय नगर कालोनी, गिलट बाजार, वाराणसी, यूपी 221002 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की सम्पत्ति शामिल आराजी नंबर–292, मकान नंबर एस 21/116–ए–1 (पुराना मकान नंबर एस 21/115), जो मोहल्ला/ग्राम– मलदहिया (इंग्लिशिया लाइन) कैंटोनमेंट, वार्ड सिकरौल, वाराणसी में स्थित है, क्षेत्रफल 5880.00 वर्ग फुट यानी 546.468 वर्ग मीटर है। विक्रय विलेख नंबर 1371 के तहत है, जो दिनांक 14.08.2008 को (पेज नंबर 67 से 116) बुक नंबर–1, खण्ड नं0–1034, सब–रजिस्ट्रार–3, वाराणसी के कार्यालय में पंजीकृत, क्षेत्रफल 546.468 वर्ग मीटर, मालिक– श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री रुप विजय सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री रुप विजय सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह पुत्र श्री रुप विजय सिंह, **चौहद्दी: (विलेख के अनुसार):** पूर्व: हरा लाल का मकान, **पश्चिम:** दूसरे के मकान का पश्चिमी हिस्सा, **उत्तर:** 8 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** आशा देवी का मकान और जुज भाग वास्कल रास्ता	**रू0 40,68,741.50** + अतिरिक्त ब्याज दिनांक 01.06.2026 से प्रभावी + डीआई एवं अन्य लागे शुल्क वसूली घटावार **21.04.2025** **04.02.2026** सांकेतिक	**2,50,60,000/-** **25,06,000/-** **1,00,000/-** 29.06.2026	**30.06.2026** **11:00 AM** **to** **04.00 PM**	कुछ नहीं

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तो और निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्दघोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या कुछ के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://ebkray.in/baanknet.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तया बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट **https://ebkray.in/baanknet.com** पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखे **https://ebkray.in/baanknet.com** और **www.pnbindia.in/** या **श्री रूद्र नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) से सम्पर्क करें।** नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाक:12.06.2026, स्थान: वाराणसी सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**